हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
बअनवान अर्जुनसिंह बनाम हीरा
अपील संख्या 55/2016

नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

06.04.2022 पत्रावली बाद जांच पेश हुई। अपीलांटगण के अधिवक्ता गंगाराम विश्नोई एवं रेस्पोडेंट अधिवक्ता श्री यांकाराम चौधरी उपस्थित। अधिवक्ता उभयपक्ष की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

अधिवक्ता अपीलांट ने बहस करते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटगण को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। मूल दावा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है। दावे के विचारण रहते अपीलाधीन आराजी से अपीलांटगण को बेदखल किया जाता है तो अपीलांटगण को अपूरणीय क्षति कारित होगी। मामला प्रथम दृष्टया एवं सुविधा का संतुलन अपीलांटगण के पक्ष में है। अतः अपील स्वीकार फरमाई जावे।

अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने बहस करते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटगण को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। अपीलाधीन आराजी के रेस्पोडेंटस रिकॉर्डेड खातेदार है जिनके विरूद्ध हाजा न्यायालय द्वारा बिना सुने अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की गई जो न्यायोचित नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश दस्जावेजात पर गौर कर बाद विस्तृत विवेचन पारित किया गया जिसमें किसी प्रकार की कोई वैधानिक त्रुटि नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन करते हुए पारित किया गया जो विधि सम्मत है। मामला प्रथम दृष्टया एवं सुविधा का संतुलन रेस्पोडेंटस के पक्ष में है। अतः अपीलांटगण की अपील को खारिज फरमाया जावे।

विद्वान उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनने, पत्रावली का अवलोकन करने पर पाया कि मूल वाद अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है। उभयपक्ष के हितों का निर्धारण मूल वाद में साक्ष्य सबूत के आधार पर निस्तारण पर ही संभव है। उससे पूर्व रिकॉर्डेड खातेदार के विरूद्ध इंजेक्शने जारी करना विधि सम्मत प्रतीत नहीं होता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा एवं हाजा न्यायालय द्वारा अपीलांटगण को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। मामला प्रथम दृष्टया एवं सुविधा का संतुलन भी रेस्पोडेंटस के पक्ष में है। उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यों के आलोक में अपीलांटगण की अपील खारिज करने योग्य ठहरती है। लिहाजा अपीलांटगण की अपील को सारहीन होने से खारिज किया जाता है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर गुड़ामालानी द्वारा राजस्व आवेदन संख्या 130/2016 अबनवान अर्जुनसिंह बनाम हीरा वगै. में पारित आदेश दिनांक 24.06.2016 को यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मय निर्णय प्रति के लौटाया जावे। पत्रावली फैशल शुमार नंबर से कम होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो। आदेश सरे इजलाश सुनाया गया।